

असोधार्ग EXTRAORDINAR)

भाग II—सण्ड 3—उप-संख्य (ii) /

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई विल्ली, सोमवार, जून 5, 1989/ज्येष्ट 15, 1911

[NO. 315]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 1989/JYAISTHA 15, 1911

इस भाग में भिल्म पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई विल्ली, 5 जून, 1989

का. आ. 404(अ): -भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 16 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1182 (अ) द्वारा, केन्द्रीय शरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियनन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में उकत अधिसूचना में निर्दिद्ध उप-जीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने के अपने अश्यय की सूचना दी थी, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षित है; और उक्त धारा में निर्दिष्ट तीन मास की अवधि समाप्त हो गई है :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए, के**न्द्रीय सरकार** उक्त अधिनियम की अनुसूची में तिम्नलिखित उप-जीविकायों और प्रक्रियाओं को जोड़ती है; अर्थात्: -

उपत अधिनियम की अनस्की में -

- (1) भाग-क में मद (5) और उसने संबंधित प्रविष्टि के पश्चान्, निम्निखित मद और प्रविष्टि शामिल की जाएगी, अर्थात : -
 - "(6) अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों में पटाखे और आतिशवाजी का विकथ करने से संबंधित कार्य ।"
- (2) भाग-च में मद (11) और उसने संबंधित प्रतिष्टि के पण्जात, निम्नलिखित मधे और प्रविद्धियां णामित का जाएंगी अयीत : --
 - "(12) स्त्रेट पेन्सिलों का (जिसके अंतर्गत पैक करता भी है) बिनिर्माण
 - (13) मुलेमानी पत्थर में उत्पादों का वितिमाण
 - (14) विपानन धातुओं और पदार्थी जैसे कि सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बैन्जीन, नाशक जीवमार और एम्बेस्टस का उपभीग करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं ।''

फि.सं.-एस-27025/58/86-मी.एल. (खण्ड-II)] एस एच एस. अथयर, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1989

S.O. 401(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1182 (E). dated the 16th December, 1988, the Central Government gave notice of its intention to add the occupation and processes specified in the said notification to the Schedule of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), as required under section 4 of the said Act :

And whereas, the period of three months specified in the said section has expired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby adds the following occupation and processes in the Schedule to the said Act, namely:—

In the Schedule to the said Act, -

- (1) in Part A, after item. (5) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—
 - "(6) Work relating to selling of crackers and fire works in shops with temporary licences.";
- (2) in Part B, after item (11) and the entry relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:--
 - "(12) Manufacture of slate pencils (including packing).
 - (13) Manufacture of products from agate.
 - (11) Manufacturing Processes using toxic metals and substances such as lead, mercury, manganese, chromium, cadmium, benzene, pesticides and asbestos.".

[F. No. S-27025|58|86-CL (Vol.II)] S. H. S. IYER, Under Secv.